



फोन—2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001
website—www.sudaup.org
पत्रांक— 2639/241/NULM/तीन/2001 (S.E.P.) दिनांक— 03/11/14

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद तथा मेरठ।
3. अधिशासी अधिकारी / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ,
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चौसी, फिरोजाबाद,
शिकोहाबाद, मुगलसराय, बड़ौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद,
फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर,
कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर,
मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर,
उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी
(गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पटरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ,
प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी,
ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा
भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत मोटर विहीन वाहन चालकों और रिक्षा चालकों को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने एवं उसमें स्थाई सुधार और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आरम्भ किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्राथमिक लक्ष्य शहरी निराश्रित / विभिन्न वंचित समूहों के परिवारों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग आदि है।

भारत सरकार के पत्र संख्या—ई—14013/1/2012—यूएस0डी0, दिनांक 23.09.2014 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उक्त लिखित समूहों के साथ-साथ रिक्षा चालकों और मोटर विहीन वाहन चालकों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीब लाभार्थियों के रूप में चिह्नित करते हुए उन पर विशेष ध्यान प्रदान करने आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत मोटर विहीन वाहन चालकों के परिवारों की महिला सदस्य को स्वयं

सहायता समूह के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इसी प्रकार मोटर विहीन वाहन चालकों और रिक्शा चालकों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम घटक के तहत मोटर विहीन वाहन हेतु बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता उपलब्ध कराई जाये। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं के अन्तर्गत इस शहरी गरीब समूह को लाभ प्रदान किये जाने हेतु परियोजना प्रस्ताव भी तैयार किये जायें।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटकों के अन्तर्गत मोटर विहीन चालकों और रिक्शा चालकों को उपरोक्तानुसार लाभ प्रदान करने हेतु शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अभिकरण मुख्यालय को सूचित करें।

भवदीय

संलग्नम्—यथोक्ते ।

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को संलग्नक सहित सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

31/11/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक



MOTTO - 151/69-1-2014

F.No. E-14013/1/2012-USD

Government of India

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation
(UPA Division)Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 23rd September, 2014

To Shri Chandra Bhushan Paliwal,
Principal Secretary (UD)
Pr. Sec Govt. of Uttar Pradesh,
Room No.825, 8th floor, Bapu Bhawan,
Lucknow - 226 001

UTs

Subject: Inclusion of pliers of Non Motorised Vehicles and Rickshaw Pullers under NULM.

Sir,

The National Urban Livelihood Mission (NULM) is now being implemented in all States and UTs of India focusing on improving livelihood opportunities of the urban poor. It is believed that Rickshaw Pullers and pliers of other Non-Motorized Vehicles (NMVs) are a particularly vulnerable group who are subject to the vagaries of law enforcement with limited or no livelihood security.

2. Accordingly, States should pay special attention to Rickshaw Pullers and pliers of other NMVs while identifying the urban poor beneficiaries under NULM.

3. Specifically, under SM&ID component, State may encourage women from the households of NMV pliers to form SHGs and avail the benefits available under this component. Subsequently, Rickshaw Pullers and NMV pliers may also be provided benefits under the Self Employment component by helping them access loans from banks for purchase of NMVs. Proposals under Innovative and special projects components of NULM may also be prepared to benefit this group of urban poor.

4. Based on your experience, you may send us additional suggestions for improving the livelihood of NMV pliers under NULM.

Yours faithfully,

(Animesh Bharti)
Director (UPA)

Ph. No.23061303 / Fax No 23061185

नगर विकास, गरीबी उन्हूलन विभाग
एवं गरीबी उन्हूलन विभाग
उप्रेश्वर शासन

संग्रहीत
01/10/14